

पाठ—18 मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य

विनिमय की प्रारम्भिक अवस्था में विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जिसे वस्तुविनिमय अथवा अदल-बदल भी कहा जाता था। वस्तुविनिमय व्यापार का एक अति असुविधाजनक एवं दोषपूर्ण ढंग था जिसका प्रयोग केवल एक पिछड़े समाज में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सम्भव हो सकता था। मुद्रा का जन्म निस्सन्देह वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से प्रेरित होकर ही हुआ होगा।

वस्तुविनिमय वस्तुओं की वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ अदल-बदल की प्रणाली को वस्तु विनिमय अथवा अदल-बदल कहते हैं, मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु का दूसरे वस्तु में आसानी के साथ सीधा विनिमय ही वस्तुविनिमय कहलाता है।

ओ.पी. केंट के शब्दों में—एक वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं का वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है।

एस.ई. थॉमस के शब्दों में—एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तुविनिमय कहलाता है।
उदाहरण—

एक गाँव में एक किसान है उसके पास अपनी आवश्यकता से ज्यादा चावल है एक जुलाहा है जिसके पास अतिरिक्त कपड़ा है किसान को कपड़े की आवश्यकता है, जुलाहे को चावल की आवश्यकता है, आवश्यकता का यह दोहरा संयोग किसान और जुलाहे के बीच वस्तु द्वारा वस्तु का विनिमय उत्पन्न कराता है, जुलाहे किसान को कपड़ा तथा किसान जुलाहे को चावल देता है, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना मुद्रा के सम्भव हो पाती है।

वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ

1. दोहरे संयोग का अभाव— वस्तुविनिमय प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय केवल उसी समय सम्भव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक-दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में बदलने के लिए तैयार हो, परन्तु ऐसा संयोग में सदैव सम्भव नहीं है।

2. क्रयशक्ति संचय में कठिनाई— वस्तुविनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकांश वस्तुएँ क्षयशील प्रकृति की होती हैं, जिसके फलस्वरूप पूँजी निर्माण सम्भव नहीं हो पाता।

3. सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव— वस्तु-विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का कोई मानक न होने के कारण विनिमय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करना कठिन है, अदाहरण के लिए— यह कैसे निश्चित किया जाय— चावल के बदले कितना कपड़ा देना पड़ेगा।

4. वस्तु विभाजन में कठिनाई— विनिमय होने वाली वस्तुओं में कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, यदि उनका विभाजन किया जाय तो वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, जैसे जीवित जानवर का यदि व्यक्ति बकरी के बदले में गेहूँ तथा चावल चाहता है तो यह सम्भव नहीं है।

5. भावी भुगतान का अभाव— बहुत सी वस्तुओं का क्रय विक्रय ऐसे होते हैं, जिनका भुगतान तुरन्त न होकर भविष्य में किया जाता है ऐसा वस्तु विनिमय प्रणाली में सम्भव नहीं होता है।

परन्तु वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का आरम्भ कब और कैसे हुआ, यह बताना सम्भव नहीं है, सभ्यता के अन्य मूलभूत तत्वों की भाँति मुद्रा भी एक अत्यन्त प्राचीन तत्व है किन्तु मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ क्रमिक विकास होता आया है।

ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि प्रारम्भ में पशुओं तथा वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जैसे चन्द्र राजाओं के शासन में गाय को मुद्रा घोषित किया गया था बाद में धातु के सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा, अगली अवस्था पत्रमुद्रा के चलन की थी, बैंको के चलन एवं विकास होने पर साख-मुद्रा का विकास हुआ और चैकों ड्राफ्ट का प्रयोग शुरू हुआ।

भारत में मुद्रा शब्द का प्रयोग उस संकेत-चिन्ह अथवा परिचय-चिन्ह के लिए किया जाता था, जो राजदरबार की ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त होता था, वर्तमान युग में भी मुद्रा से अभिप्राय राज्य द्वारा जारी किये गये उस संकेत-चिन्ह से है, जिसके द्वारा देश में सम्पूर्ण लेन-देन होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। मोनेटा देवी जूनो का दूसरा नाम है, जिसके मन्दिर में प्रचीन रोम में सिक्कों की ढलाई होती थी।

मुद्रा का अभिप्राय एवं परिभाषा-मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, जिसे विस्तृत रूप में विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतन्त्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है।

मुद्रा की परिभाषाएँ

1.वर्णात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएँ-

- क. कौलबौर्न के अनुसार-"मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन हैं।"
- ख. हार्टले विदर्स के अनुसार-"मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें।"
- ग. प्रो० थॉमस के शब्दों में-"मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, अर्थात् जो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दी जाती है।"

2.वैधानिक परिभाषाएँ-

नैप के अनुसार-"कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है।"

3. सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएँ-

- क. सैलिगमैन के अनुसार-"मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है।"
- ख. कोल के अनुसार-"मुद्रा केवल क्रय शक्ति है अर्थात् ऐसी वस्तु है जो साधारणतः व्यापक पैमाने पर भुगतान के रूप में प्रयोग की जाती है।"
- ग. कीन्स के अनुसार-"मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रसंविदाओं तथा कीमत प्रसंविदाओं का भुगतान किया जाता है।"

अतः मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्य के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है।

मुद्रा के कार्य

क. प्राथमिक कार्य-मुद्रा प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है-

1. विनिमय का माध्यम- वस्तुविनिमय प्रणाली के देहरे संयोग की समस्या का निदान मुद्रा द्वारा किया जाता है।
2. मूल्य का मापक- मुद्रा मूल्य मापक की इकाई का कार्य करती है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मूल्य को मापने के लिए मुद्रा के प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो सकता है।

ख. गौण या सहायक कार्य-मुद्रा के प्राथमिक कार्य के बाद द्वितीय कार्य निम्न है-

1. स्थगित भुगतान का मान- जिन लेन-देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा स्थिर, टिकाऊ तथा सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है।

2. मूल्य का संचय— मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह वर्तमान आय को भविष्य के लिए जमा करता है, यह भी मुद्रा द्वारा सम्भव है।
3. मूल्य का हस्तान्तरण— मुद्रा विनिमय का तरल साधन है, अतः मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तान्तरण बहुत सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है, इस प्रकार वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य के हस्तान्तरण का सर्वोत्तम साधन बन गयी है।

ग.आकस्मिक कार्य—

1. साख का आधार— आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख की महत्वपूर्ण भूमिका है, आज साखपत्रों का उपयोग मुद्रा की भाँति किया जाता है, मुद्रा को आधार मानकर साखपत्र जारी किया जाता है।
2. सामाजिक आय वितरण का आधार— वर्तमान अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। इस सामूहिक उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न साधनों (भूमि,श्रम,पूँजी,संगठन तथा साहसी) का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तथा उत्पादन के सभी साधनों के योगदान के बदले उचित पारिश्रमिक दिया जाता है।
3. पूँजी की तरलता गति में सहायक— मुद्रा का पूँजी के रूप में लाभदायक उपयोग सम्भव है। उदाहरण के लिए— कोई व्यक्ति मकान,जमीन अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में भुगतान अस्वीकार करता है परन्तु मुद्रा के रूप में नहीं।
4. अधिकतम सन्तुष्टि का आधार— आधुनिक समाज में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपयोग करके अपनी सन्तुष्टि को अधिकतम करना चाहता है जो मुद्रा द्वारा ही सम्भव है।
5. शोधन क्षमता की गारण्टी— आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए अपनी शोधन क्षमता बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक या बीम कम्पनी को मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ धन जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार उसकी शोधन क्षमता सुरक्षित रहती है। यदि कोई फर्म अपनी मौद्रिक देनदारी पूरी न कर सके तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसप्रकार मुद्रा शोधन क्षमता की गारण्टी प्रदान करती है।
- 6.निर्णय की वाहक— मुद्रा निर्णय का वाहक है क्योंकि एकत्रित की गयी मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छानुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

मुद्रा की माँग

प्रो0 जे.एम.कीन्स ने मुद्रा की माँग को तरलता पसन्दगी के साथ सन्दर्भित किया है। कीन्स की शब्दावली में तरलता पसन्दगी का अर्थ है— जनता द्वारा नगदी के रूप में मुद्रा की माँग। कीन्स के अनुसार तरलता पसन्दगी अर्थात् मुद्रा की माँग तीन उद्देश्य से की जाती है—

1. सौदा उद्देश्य— व्यक्ति अपने पास कुछ नकदी रखता है जो व्यक्ति को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर सके तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके उदाहरण के लिए—दूध, सब्जी, यात्रा हेतु नकद रूप से मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है।
2. दूरदर्शिता का उद्देश्य— प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की एक निश्चित मात्रा नकदी के रूप में रखना चाहता है ताकि वह कुछ अप्रत्याशित दुर्घटनाओं (जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि) से स्वयं का बचाव कर सके।
3. सट्टा का उद्देश्य— यह उद्देश्य नकद रूप में मुद्रा की उस माँग को प्रदर्शित करता है। जिसकी सहायता से बाजार में होने वाले ब्याज दरों के परिवर्तन अर्थात् ब्रांडों की कीमत में परिवर्तन का लाभ उठाया जा सके।

साख निर्माण प्रक्रिया— साख निर्माण की दो प्रक्रिया है—

1.प्राथमिक एवं नकद जमाएं

2.व्युत्पन्न अथवा गौण जमाएं

1. **प्राथमिक जमाएं**—प्राथमिक जमाएं वो जमाएं हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में नकदी के रूप में जमा की जाती है। उदाहरण के लिए— यदि किसी ग्राहक ने ग्रामीण बैंक में अपनी

बचत या किसी अन्य खाते में रुपये 10000 नकद जमा करता है तब यह 10000रु0 ग्रामीण बैंक के लिए उसकी नकद या प्राथमिक जमाए है।

2. व्युत्पन्न अथवा गौण जमाए— इसके विपरीत जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है। तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम है।

भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्वबैंक ऑफ इण्डिया)

भारतीय रिजर्वबैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1935 में हुई थी वर्तमान में रिजर्वबैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर उर्जित पटेल हैं रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारम्भ में कोलकत्ता में था स्थापित था जिसे 1937 में मुंबई में स्थानान्तरित किया गया। प्रारम्भ में यह निजी स्वामित्व का बैंक था 1949 में राष्ट्रीकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। "भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनिमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाये रखना और सामान्या रूप से देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"

रिजर्वबैंक के प्रमुख कार्य—

1. नोट निर्गमन का एकाधिकार— वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है और केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किये गये नोट सारे देश में असीमित विधिग्रह्य के रूप में घोषित है।
2. सरकार का बैंकर, एजेण्ट, वित्तीय परामर्शदाता— व्यापारियों और सामान्य व्यक्तियों की भाँति सरकार को भी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, केन्द्रीय बैंक के रूप में वे सभी कार्य करता है। जो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है साथ ही घाटे की वित्त व्यवस्था, अवमूल्यन, व्यापार नीति, विदेशी विनिमय दर निर्धारण में परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है।
3. बैंकों का बैंक— केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करती है, केन्द्रीय बैंकों का अन्य बैंकों के साथ वही संबंध रहता है, जो एक साधारण बैंक का ग्राहक के साथ।
4. अन्तिम ऋणदाता— केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अन्तिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आज भी केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के दायित्वों को निभा रहे है।
5. विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण—केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्य केन्द्रीय बैंकों को भुगतान संबंधी कठिनाइयों को दूर करने तथा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाने में सहायक होती है।
6. समाशोधन गृह का कार्य—केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक के समाशोधन गृह कार्य का अर्थ वह विभिन्न बैंकों के एक दूसरे के लेन—देन, न्यूनतम नकदी के साथ निपटा देती है, जिसमें पारस्परिक लेन—देन का निपटारा कम मुद्रा में ही हो जाता है।

साख नियंत्रण

कीमतों में हो रही स्फीतिकारी वृद्धि को नियंत्रण करने हेतु भारतीय रिजर्वबैंक ने साख नियंत्रण के लिए जो उपाय अपनाया है उसे साख नियंत्रण विधि कहते है, ये दो प्रकार के होते है—

1. परिणात्मक साख नियंत्रण
2. गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण

1. परिणात्मक साख नियंत्रण— रिजर्वबैंक द्वारा सामान्यतया प्रमुख परिणात्मक साख नियंत्रण के अस्त्र है जो साख की मात्रा को प्रभावित करता है।
1. बैंक दर— वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्वबैंक द्वारा व्यवसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो केन्द्रीय बैंक प्रारम्भिक कटौती के उपरान्त जिस दर पर व्यवसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं।
2. रेपो दर— वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्वबैंक द्वारा व्यवसायिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे रेपो दर कहते हैं।
3. रिवर्स रेपो दर— वह ब्याज दर जिस दर पर भारतीय रिजर्वबैंक अल्पकालीन जमाओं पर व्यवसायिक बैंकों को ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं।
4. खुले बाजार की क्रियार्ये— खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य केन्द्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा बाजार में ग्राह्य प्रतिभूतियों के क्रय—विक्रय से है। खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय—विक्रय स्वयं रिजर्वबैंक करता है।
5. नकद कोष अनुपात— इस विधि के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को कुछ नगद रूप से रिजर्वबैंक के पास जमा करना पड़ता है। यदि यह दर ऊँची होगी तो साख निर्माण कम होगा इसके विपरीत नगद कोष कम होने पर साख की मात्रा बढ़ेगी, यह साख निर्माण को प्रभावित करता है।
6. वैधानिक तरलता अनुपात— वैधानिक तरलता अनुपात भारत में कार्य करने वाले सभी प्रकार के बैंक अनुसूचित बैंकों (देशी/विदेशी) की सकल जमाओं का कुछ भाग अपने पास नगद रूप से सुरक्षित कोष के रूप में रखना पड़ता है। जो आपातकाल में निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण

चयनात्मक साख नियंत्रण वे तरीके हैं जो साख की मात्रा या परिमाण को नहीं बल्कि उसके प्रवाह को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करता है।

इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं के लिए साख देने पर रोक लगाना या उन्हें हतोत्साहित करना है।

रिजर्वबैंक प्रमुख रूप से तीन चयनात्मक विधियों का प्रयोग करता है—

1. कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों की आड़ में ऋण देने के संबंध में न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है।
2. कुछ विशेष उद्देश्य के लिए दिये गये ऋणों या सुविधाओं की ऊपरी सीमा निर्धारित कराना।
3. कुछ विशेष प्रकार के ऋणों पर विभेदात्मक ब्याजदर लगाना।

महत्वपूर्ण प्रश्न—

1. मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या हैं।
2. दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या अर्थ है।
3. बैंक दर क्या है।
4. मुद्रा के मुख्य कार्यों का उल्लेख करो।
5. मुद्रा वह धूरी है, जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है।
6. वस्तुविनिमय प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख कठिनाईयों का उल्लेख कीजिए।
7. केन्द्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए और उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए।